

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/2021/5676

जयपुर, दिनांक : 10/1/22


आदेश

श्री विक्रम राणा, अध्यक्ष नवगठित नगरपालिका जावाल जिला सिरोही को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर के विरुद्ध एफ.आई.आर. संख्या 333/2021 दर्ज की गई, इस कारण से न्यायिक जांच समाप्त तथा अन्तिम आदेश पारित होने तक के लिए विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(अ.स.333/21)एसीबी/डीएलबी/2021/433 दिनांक 10.12.2021 के द्वारा नगरपालिका जावाल के अध्यक्ष पद से निलम्बित किया गया है।

अतः श्री कनाराम भील अनुसूचित जनजाति (ST) नवगठित नगरपालिका जावाल जिला सिरोही को अध्यक्ष के पद का कार्यभार आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो, तक के लिए अधिकृत किया जाता है। उक्त कार्यभार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 के प्रावधानों के अधीन रहेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,


(दीपक नन्दी)


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प.8(क)(वि.स.)()/डीएलबी/2020/5677-91

दिनांक : 10/1/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर सिरोही।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), जोधपुर।
8. अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी नवगठित नगरपालिका जावाल को भेजकर लेख है कि कार्यभार अवधि पूर्ण होने से पूर्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विभाग को आगामी अवधि बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।
9. संयुक्त निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी को प्रकाशन करवाने हेतु।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. श्री कनाराम भील, अध्यक्ष नवगठित नगरपालिका जावाल।
13. श्री विक्रम राणा, निलम्बित अध्यक्ष, नवगठित नगरपालिका जावाल।
14. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी